संख्या-8/2015/325/सैंतीस-2-2015-1(26)/2013

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-13 मार्च, 2015

विषयः- **जनपद बरेली में पशु उत्थान (वर्ण संकर) केन्द्र की स्थापना योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कायकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-1062(6)/यू.पी.एल.डी.बी./प.उ.व.स.के.ब./ए.इ.एस./2014-15, दिनांक-09.02.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-04-जनपद बरेली में पशु उत्थान (वर्ण संकर) केन्द्र की स्थापना के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख (रूपये पाँच करोड. मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय प्रकरण में नामित कार्यदायी संस्था ´उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0' द्वारा गठित आगणनों पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.01.2014 में प्राप्त अनुमोदन के अनुरूप ही किया जायेगा।

4- आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्माण एजेन्सी द्वारा समस्त कार्य को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा। यदि निश्चित अवधि में कार्य पूरा नहीं होता है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद का यह दायित्व होगा कि वह कारणों का उल्लेख करते हुए इसकी सूचना शासन को तुरन्त उपलब्ध करायें। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो।

5- किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उपर्युक्त स्वीकृति ही अकेले ऐसे किसी व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेश के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

7- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-04-जनपद बरेली में पशु उत्थान (वर्ण संकर) केन्द्र की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**सुरेन्द्र सिंह**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-8/2015/325(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे स्वीकृत धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को उपलब्ध करायें।
4. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in